

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(61)2021/

दिनांक : 26/4/2021

निमित्त,

तहसीलदार

राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1 श्री शंकर लाल पिता नानुराम जाति जाट उम्र 60 साल निवासी मान्यास तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

**प्रार्थीगण**

बनाम

1 श्री गोपीलाल पिता रूपा जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मान्यास तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

2 श्री महादेव पिता भोलाराम जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मान्यास तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

3 श्री हगामी पत्नि हांसु जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मान्यास तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

4 श्री बालुराम पिता धुकल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मान्यास तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

5 श्री अम्बालाल पिता हजारी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मान्यास तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

6 श्रीमान तहसीलदार तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थीगण**प्रार्थना पत्र संख्या :- 61 /2021****-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा मान्यास पटवार हल्का सांखली तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 819,821,823,907/819,की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों ओर दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्टमय पर्चा मौका पेश करे ।

(सुनील शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
राशमी

